RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

सितम्बर-2023 | वर्ष - 15 | अंक : 08 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

पूना पैक्ट का मूल पाठ

समझौते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था-

1. प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी जो निम्न प्रकार होंगी।

मद्रास 30, बम्बई और सिंध मिला कर 15, पंजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल योग 148, ये संख्या प्रांतीय काउंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था।

2. इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाएगा :

दलित वर्गों के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचनक्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे, जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिए दलित वर्गों के चार अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा। वह चुनाव-पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे।

3. केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त खंड 2 में उपबंधित रीति से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक निर्वाचन के तरीके द्वारा सीटों का आरक्षण होगा।

4. केंद्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी।

5. उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

6. प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर खंड 1 और 4 में दिया गया है, तब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती।

7. केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए दलितों को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है।

8. दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी।

9. सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी।

समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली और उनको भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। अस्पृश्य दुखी थे। ऐसा होना स्वभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष में नहीं है। वे यह जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई हैं। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली हैं, जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें मिलनी थीं। परंतु इससे यह परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना पैक्ट में बहुत अधिक दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना है क्योंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया है।

कम्युनल अवार्ड से अस्पृश्यों को दो लाभ थे -

1. पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्चित कोटा, जिन पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था।

2. दोहरी मतदान सुविधा- वे एक वोट का उपयोग पृथक मतदान के तहत दे सकते थे और दूसरा आम चुनाव के समय देते।

अब यदि पूना पैक्ट ने सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है तो इसने दोहरे मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे मत की सुविधा की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती। कम्युनल अवार्ड द्वारा किया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था। यह एक राजनीतिक हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र में मतदान करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मतदान संख्या का दसवां भाग है। इस मतदान शक्ति से आम हिंदू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्यों की स्थिति निर्णायक होती, चाहे साधिकार न भी हो। कोई भी सवर्ण हिंदू अपने निर्वाचनक्षेत्र में अस्पृश्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखाने की स्थिति में भी न रहता। अस्पृश्यों के मतों पर निर्भर करता। आज अस्पृश्यों की कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है। यदि कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार बरकरार रहता, तो अस्पृश्यों को कुछ सीटें भले ही कम मिलती, परंतु प्रत्येक सदस्य अस्पृश्यों के लिए भी प्रतिनिधि होता। अस्पृश्यों के लिए अब सीटों की संख्या में की गई बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे पृथक मतदान प्रणाली और दोहरे मतदान की क्षतिपूर्ति नहीं होती। हिंदुओं ने यद्यपि पूना पैक्ट पर खुशियां नहीं मनाई, वे इसे पंसद नहीं करते। वे इस अफरातफरी में श्री गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित थे। इस दौरान भावना की लहर चल रही थी कि श्री गांधी के प्राण बचाना महान कार्य है। इसलिए जब उन्होंने समझौते की शर्तें देखी, तो वे उन्हें पसंद नहीं थीं, लेकिन उनमें उस समझौते को अस्वीकार करने का भी साहस नहीं था। जिस समझौते को हिंदुओं ने पंसद नहीं किया और अस्पृश्य उसके विरोध में था, पूना पैक्ट के दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ा और उसे भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

साभार - बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड-16
पृष्ठ सं. 95 से 98
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

हिन्दु समाज–व्यवस्थाः इसकी अनोखी विशेषताएं

अब तक हमारी चर्चा हिन्दू समाज–व्यवस्था के मूलभूत तत्वों का वर्णन करने तक सीमित थी। अपने मूल तत्वों के अतिरिक्त हिन्दू समाज–व्यवस्था की कुछ अनोखी विशेषताएं है। ये अनोखी विशेषताएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, जितने कि मूल तत्व। हिन्दू समाज–व्यवस्था का ऐसा अध्ययन, जिसमें इनका उल्लेख नहीं हैं, अपूर्ण या असंगत माना जाएगा।

ये विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? हिंदू समाज व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताएं तीन हैं। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता महामानव ब्राह्मण की पूजा करना है। इस संबंध में हिन्दू समाज व्यवस्था नीत्शे के सिद्धातं को कार्यरूप में परिणत करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। नीत्शे ने स्वयं भी कभी महामानव के अपने सिद्धांत की मौलिकता का कोई दावा नहीं किया। उसने यह स्वीकार किया तथा माना कि यह मनुस्मृति से उधार लिया है। अपनी एंटी क्राइस्ट नामक पुस्तक में नीत्शे कहता है :

''आखिरकार, प्रश्न यह है कि झूठ किस उद्देश्य से पोषित किए जाते हैं? यह तथ्य है कि ईसाई धर्म पवित्र उद्देश्यों से शून्य हैं। इस कारण से मेरी आपत्ति इसके साधनों के संबंध में हैं। इसके साध्य भी बुरे हैं। विषवमन, जीवन की निस्सारता, शरीर का तिरस्कार, पाप के तिरस्कार द्वारा मनुष्य का पतन तथा स्व–अवमूल्यन – परिणामस्वरूप इसके साधन भी अशुभ हैं। जब मैंने मनु की कानून की पुस्तक को पढ़ा तो इसके बारे में मेरे विचार बिल्कुल विपरीत हो गये। इसका एक ही सांस में बाइबिल के साथ नाम लेना पाप तुल्य होगा। अब आप तुरंत ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे वास्तविक दर्श क्यों है इसमें यहूदियों के सड़े रब्बीवाद और अंधविश्वास की केवल दुर्गंध आती है। बल्कि इसमें सर्वाधिक सर्वगुण सपन्नतावादी मनोविज्ञानी को चर्चा भी करने का भी कुछ मसाला मिलता है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो न भूलने योग्य है, वह यह है कि यह बाइबिल से मूलरूप से भिन्न है। इसके माध्यम से कुलीन वर्ग, दार्शनिक तथा योद्धा गण जनता जनार्दन की रक्षा तथा मार्गदर्शन करते हैं।, यह उच्च मूल्यों से सराबोर है। यह पूर्णता की भावना से परिपूर्ण है। तथा इसमें जीवन की स्वीकारोक्ति है, स्वंय जीवन के प्रति कल्याण की विजयानुभूति है–कुल मिलाकर यह पुस्तक अति श्रेष्ठ है। प्रसव, औरत, शादी विवाह संबंधी वे सभी बातें, जो इसाई धर्म में अगाध अश्लीलता से भरी पड़ी है, इनको यहां बड़ी सहजता, सम्मान, प्यार तथा विश्वास के साथ वर्णित किया गया है। भला कोई ऐसी पुस्तक को बच्चों या औरतो के हाथ में कैसे दे सकता है, जिसमें अश्लील शब्द भरे पड़े हैं, व्याभिचार रोकने के लिए हरेक आदमी की अपनी पत्नी और हर औरत का अपना पति होना चाहिए.....(कामाग्नि) जल जाने से शादी करना ज्यादा बेहतर होता है और जब तक आदमी की उत्पत्ति को ही ईसाई धर्म में न बदल दिया, तब क्या ईसाई होना अच्छी बात है। अर्थात कुमारी केरी के गर्भाधारण द्वारा कलुकषित किया जाता है।''

नीत्शे को कभी भी अपने देश में कोई सम्मानजनक या महत्वपूर्ण स्थानप्राप्त नही हुआ और न लोगों ने उसे गंभीरता से सुना। उसके अपने ही शब्दों में कभी कुलीन वर्ग तथा सामंत वर्ग के दार्शनिक के रूप में उसका विरोध किया गया, कभी उसकी खिल्ली उड़ाई गई, कभी उस पर दया दिखाई गई तथा कभी उसके अमानवीय प्राणी के रूप में बहिष्कृत किया गया। नीत्शे का दर्शन है सत्तालोलुपता हिंसावृत, आध्यात्मिकता का परित्याग, महामानव के हित में सामान्य जन की दासता और अधोगति। उसके दोषपूर्ण दर्शन ने उसके अपने ही समय के लोगों के दिलो दिमाग में जुगुप्सा तथा भय उत्पन्न किया था। यदि उसे बहिष्कृत नहीं किया गया तो उसे उपेक्षित तो पूरी तरह से किया गया, और नीत्शे ने स्वयं अपने को मरणोत्तर व्यक्तियों की श्रेणी में रख लिया था। उसने सोचा था कि सदियों के बाद जनता उसके कार्यो के लिए उसकी प्रशंसा करेगी। यहां फिर नीत्शे को निराशा ही हाथ लगी। उसके दर्शन की प्रशंसा होने के बजाए समय के साथ लोगों के मन में नीत्शे के लिए भय और घृणा की भावना बढ़ी। नीत्शे के दर्शन की दुष्ट प्रकृति को देखते हुए कुछ लोग तो यह विश्वास भी नहीं करेंगे कि हिन्दू समाज व्यवस्था महामानव की पूजा पर आधारित है।

देखे इस विषय में मनुस्मृति क्या कहती हैं। हिन्दू समाज व्यवस्था में ब्राह्मण की स्थिति के बारे में मनु का विचार इस प्रकार है :

1.93. ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने से ज्येष्ठ होने से और वेद के धारण करने से धर्मानुसार ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होता है।

1.94. स्वयंभू उस ब्राह्मण हव्य तथा कव्य को पहुचाने के लिए और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए तपस्या कर सर्वप्रथम ब्राह्मण को ही अपने मुख से उत्पन्न किया।

1.95 ब्राह्मण के मुख से देवता लोग हव्य तथा पितर लोग कव्य को खाते हैं। अतः ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ कौन प्राणी होगा।

1.96 भूतों में प्राणधारी जीव श्रेष्ठ है, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवीयों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है।

मनु ने ब्राह्मण के प्रथम श्रेणी में होने के पक्ष में कारण बताते हुए कहा है, चूंकि ईश्वर ने उसे सबसे पहले अपने मुख से पैदा किया है, ताकि देवताओं व पितरों को आहुति दी जा सके। मनु ब्राह्मण के सर्वोपरि होने का दूसरा कारण भी बताता है। वह कहता है :

1.98 केवल ब्राह्मण की उत्पति ही धर्म की नित्य देह है, क्योंकि धर्म के लिए उत्पन्न ब्राह्मण मोक्षलाभ के योग्य होता है।

1.99 उत्पन्न होते ही ब्राह्मण पृथ्वी पर श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वह धर्म की रक्षा के लिए समर्थ होता है।

मनु इस प्रकार उपसंहार करता है :

1.101 ब्राह्मण अपना ही खाता है अपना ही दान करता है, तथा दूसरे व्यक्ति ब्राह्मण की दया से सबका भोग करते हैं। मनु आगे कहता हैः

1.00 विश्व में जो कुछ भी है, वह सब ब्राह्मण का है। अर्थात ब्राह्मण अच्छे कुल में जन्म लेने के कारण वास्तव में उन सबका अधिकारी होता है। देवत्व से पूर्ण होने के कारण ब्राह्मण कानून और राजा से ऊपर होता है।

मनु आदेश देते हैं :

7.37 राजा प्रातःकाल उठकर ऋग्यजुसाम के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करें और उनके कहने के अनुसार कार्य करें।

11.35 शास्त्रोक्त कर्मो को करने वाला, पुत्र–शिष्यादि का शासन करने वाला प्रायश्चित विधि आदि को कहने वाला ब्राह्मण सबका मित्ररूप है, अतएव उससे अशुभ वचन तथा रूखी बातें नहीं कहना चाहिए।

10.3 जाति की विशिष्टता से, उत्पति स्थान की श्रेष्ठता से, अध्ययन, अध्यापन एवं व्याख्यान आदि के द्वारा नियम के धारण करने और यज्ञोपवीत संस्कार आदि की श्रेष्टता से सब वर्णों में ब्राह्मण की वर्णों का स्वामी है।

ब्राह्मण यह हिन्दू समाज–व्यवस्था के महामानव को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रथमतः उसे फांसी नहीं दी जा सकती, भलेही उसने हत्या की हो।

मनु कहता है :

8.379 पुरोहित वर्ग के व्याभिचारी को प्राण–दंड देने के बजाय उसका अपकीर्ति कर मुंडन करा देना चाहिए तथा इसी अपराध के लिए अन्य वर्गों को मृत्युदंड तक दिया जाए।

8.380 राजा समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का वध कभी न करे, किंतु संपूर्ण धन के साथ अक्षत उसको राज्य से निर्वासित कर दे।

11.127 बिना द्वेष–भाव के यदि ब्राह्मण किसी सदाचारी क्षत्रिय की हत्या कर देता है, तो उसे उसके सभी धार्मिक संस्कारों को रोकने के बाद पुरोहित को एक बैल और एक हजार गाय देनी चाहिए।

11.128 अर्थात संयमी तथा जटाधारी होकर ग्राम से अधिक दूर पेड़ के नीचे निवास करता हुआ तीन वर्ष तक ब्रह्मा की हत्या के प्रायश्चित को करे।

11.129 सदाचारी वैश्य का बिना कारण वध करने वाला ब्राह्मण इसी प्रायश्चित को एक साल तक करे अथवा एक बैल के साथ सौ गायों को पुरोहित को दे।

11.130 बिना इरादे के शूद्र का वध करने वाला ब्राह्मण छह मास तक इसी व्रत को करे अथवा एक बैल और दस सफेद गाय पुरोहित को दे।

8.381 ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है, अतएवं राजा मन से भी ब्राह्मण के वध करने का विचार न करे।

8.126 एक ही प्रकार के बार–बार होने वाले अपराधों पर विचार करते हुए और उसका स्थान तथा समय निश्चित करते हुए अपराधी को दंड देने की अथवा सजा भुगतने की पात्रता को देखते हुए राजा को केवल उन लोगों को ही सजा देनी चाहिए जो उसके लिए पात्र है।

8.124 ब्रह्मा के पुत्र मनु ने तीन कनिष्ठ वर्णों के विषय दंड के दस स्थानों को कहा है और ब्राह्मण को पीड़ारहित अर्थात बिना किसी प्रकार दंडित किए केवल राज्य से निकाल दिया जाता है।

मनुस्मृति ब्राह्मण को अन्य विशेषाधिकार भी देती है। जहां तक शादी का प्रश्न है, वह अपने ही वर्ग की महिला के साथ शादी करने के अतिरिक्त अपने से भिन्न किसी भी वर्ग की महिला के साथ विवाह संबंध स्थापित कर सकता है, लेकिन वह उसके साथ शादी करने या उसके बच्चों को अपना पद या अपनी संपत्ति का कोई अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसे अपने साथ ज्यादती करने वाले को दंड देने का अधिकार होगा और दंडित व्यक्ति न्यायलय की शरण नहीं ले सकेगा। यदि उसके धार्मिक कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हुआ तो वह किसी सामान्य जन (जैसे शूद्र) की संपत्ति पर अधिकार जमा सकता है और उसके लिए न तो वह उसे क्षतिपूर्ति करेगा और न ही उससे पीड़ित न्यायालय की शरण ले सकेगा। यहद वह छिपे हुए खजाने को ढूंढ लेता है तो वह उसे पूरा ही अपने अधिकार में ले लेगा और राजा को उसका सामान्य हिस्सा भी नहीं देगा, क्योंकि वह सबका मालिक है तथा दूसरे के द्वारा खोजे जाने पर वह उसका आधा भाग ले लेगा। वह किसी असाध्य रोग से मृत्यु को प्राप्त हुए राजा द्वारा वैधानिक जुर्माने से एकत्रित की गई संपूर्ण राशि का हकदार है। वह कराधान से परे है वह राज को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि वह उसे रोजाना भोजन उपलब्ध कराए और राजा यह देखे कि वह भूखा न मरे। उसकी संपत्ति राज्यधिकार में लिए जाने वाले कानून से मुक्त है

हिन्दू समाज–व्यवस्था का महामानव संकट के दौर में व्यवसाय के मामले में किसी भी नियम में आबद्ध नहीं है मनु कहता हैः

10.81 ब्राह्मण यदि अपने कर्म से जीवन–निर्वाह नहीं कर सके, तो क्षत्रिय का कर्म करता हुआ जीवन–निर्वाह करे, क्योंकि क्षत्रिय कर्म उसका समीपवर्ती है।

10.82 दोनों (ब्राह्मण कर्म तथा क्षत्रिय कर्म) से जीवन–निर्वाह नहीं कर सकता हुआ ब्राह्मण किस प्रकार रहे? ऐसा संदेह उपस्थित हो जाए तो वैश्य के कर्म, खेती, गो–पालन और व्यापार से जीविका करे।

10.83 वैश्यावृत्ति से जीविका करता हुआ भी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिया हिंसा प्रधान पराधीन कृषि कर्म प्रयत्नपूर्वक छोड़ दे।

10.84 कुछ लोग कृषि को उत्तम कर्म मानते हैं किंतु वह जीविका सज्जनों से निंदति है, क्योंकि लोहे के मुख वाला काष्ठ अर्थात हल भूमि तथा भूमि में स्थित जीवों को मार डालता है।

10.85 जीविका के अभाव से धर्म की निष्ठा को छोड़ते

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

हुए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को कुछ त्याज्य वस्तुओं को छोड़कर वैश्यों द्वारा बेची जाने वाली धनवर्द्धक शेष वस्तुओं को बेचना चाहिए।

10.102 आपत्ति में पड़ा हुआ ब्राह्मण सबसे दान ग्रहण करे, क्योंकि आपत्ति में पड़ा हुआ पवित्र दूषित होता है, यह शास्त्र संगत नहीं होता है।

10.103 निंदितों को अध्यापन कराने से, यज्ञ कराने से और उनका दिया हुआ दान लेने से ब्राह्मणों को दोष नहीं होता, क्योंकि वे अग्नि तथा पानी के समान पवित्र है।

महामानव के विशेषाधिकारों के बावजूद उनकी सामान्यजन के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में महामानव की सामान्यजन के प्रति कोई जवाब देही नहीं।

वह सामान्य जन के उत्थान के लिए दान करने हेतु वाध्य नहीं है। दूसरी ओर दान स्वीकार करना महामानव का एकाधिकार है। किसी और व्यक्ति द्वारा दान लिया जाना पाप है सामान्य जन (शूद्र) जो महामानव की सेवा के लिए ही पैदा होता है, सेवक के प्रति उसमें सद्भाव होना आवश्यक नहीं। वह उसे अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े तथा अच्छा निवास स्थान देने के लिए बाध्य नहीं है इस संबंध में मनु द्वारा निर्धारित उसके कर्तव्य निम्नांकित हैं:

10.124 शूद्र की क्षमता, उसका कार्य तथा उसके परिवार में उस पर निर्भर लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वे लोग उसे अपनी परिवारिक संपत्ति से उचित वेतन दें।

10.125 शूद्र को जूठा भोजन, पुराने वस्त्र, अन्न का पुआल तथा पुराने बर्तन आदि देने चाहिए।

सामान्य जन की उन्नति महामानव की श्रेष्ठता के विरुद्ध है। महामानव को प्रसन्न, संतुष्ट तथा सुरक्षित व निर्भय रखने की दृष्टि से हिंदू समाज-व्यवस्था व्यक्ति को निरंतर पतन की स्थिति में रखने के लिए विशेष ध्यान देती है।

मनु इस बात पर जोर देता है कि शूद्र को सेवा के सिवाय और कुछ नहीं करना चाहिए:

10.122 यह ब्राह्मण की सेवा करे।

10.121 ब्राह्मण की सेवा द्वारा जीवन-निर्वाह नहीं होने से जीविका को चाहने वाला शूद्र क्षत्रिय अथवा धनिक वैश्य की सेवा करता हुआ जीवन-निर्वाह करे।

1.91 ब्रह्मा ने शूद्र के लिए जो एक सबसे प्रमुख कार्य सौंपा है, वह है बिना किसी उपेक्षा भाव के उक्त तीनो वर्णों की सेवा करना।

10.129 शूद्र धन संचय करने की स्थिति में हो, फिर भी ऐसा न करे क्योंकि जो शूद्र धन संचय करता है, वह ब्राह्मण को दुख पहुंचाता है।

सामान्य जन को विद्यार्जन की अनुमति नहीं है इस संबंध में मनु के निम्नांकित निर्देश हैं :

1.88 वेदों का अध्ययन करने तथा वेदों की शिक्षा देने का कार्य सृष्टा ने ब्राह्मणों को सौंपा है।

189 क्षत्रियों को उसने (सृष्टा) ने आदेश दिया है कि वे वेदों का अध्ययन करें।

2.116 जो गुरू की आज्ञा के बिना ही वेदों का ज्ञान ग्रहण करता है वह ब्रह्म की चोरी करने का दोषी होकर नरकगामी होता है।

4.99 द्विज शूद्र की उपस्थिति में वेद का अध्ययन न करे।

9.18 स्त्रियों का वेदों के श्लोकों से कोई सरोकार नहीं है।

11.198 यदि किसी द्विज ने (अनुचित रूप से) वेदों का रहस्योद्घाटन किया है (अर्थात शूद्रों तथा स्त्रियों को) तो वह (पाप करता है) एक वर्ष जौ का आहार करके अपने पाप का प्रायश्चित करता है।

इन उदाहरणों में तीन विशेष प्रस्ताव दिए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी वेदाध्ययन कर सकते हैं। इनमें से भी केवल ब्राह्मण को ही वेदों के अध्यापन अधिकार है लेकिन शूद्र को तो न केवल वेदों का अध्ययन करने की मनाही है वरन् उसे तो उन्हें किसी के द्वारा पढ़े जाने पर सुनने की भी अनुमति नही दी गई।

मनु के उत्तराधिकारियों ने शूद्र द्वारा वेदाध्ययन करने के लिए उसे कठोर दंड वाले अपराध की श्रेणी में रखा। उदाहरण के लिए ऋषि गौतम कहता है:

3.4 यदि शूद्र इरादतन याद करने के उद्देश्य से वेद सुनता है तो उसके कानों में पिघला हुआ लाख और जस्ता भर देना चाहिए, यदि वह वेद का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए और यदि वह वेद पर अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर के टुकड़े कर देना चाहिए।

कात्यायन के भी यही विचार हैं :

सामान्य जन (शूद्र) को दीक्षा-संस्कार की भी अनुमति नहीं है दूसरे जन्म में ही व्यक्ति विशेष का नैतिक तथा भौतिक उन्नयन संभव हो पाता है। सामान्य जन को तो गरिमापूर्ण नाम रखने का भी अधिकार नहीं है।

मनु के अनुसार :

2.30 पिता को बच्चे के जन्म के बाद दसवें अथवा बारहवें दिन, अथवा शुभ ग्रह के अवसर पर अथवा शुभ मुहुर्त पर अथवा शुभ तिथि पर नामध्येय (बच्चे का नामकरण संस्कार) करना चाहिए।

1.31 ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभ-सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय के नाम का शक्ति के साथ संबंध हो और वैश्य का संपत्ति के साथ, परंतु शूद्र के नाम का पहला भाग कोई ऐसा हो जो घृणा व्यक्त करे।

2.32 ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा शब्द हो जो प्रसन्नता व्यक्त करे, क्षत्रिय का नाम रक्षा व्यक्त करे, वैश्य का समृद्धि और शूद्र का सेवा व्यक्त करे।

महामानव शूद्र के श्रेष्ठ नाम को सहन नहीं कर सकेगा। वह वास्तवकिता तथा नाम, दोनो दृष्टियों से निंदनीय होगा।

हिन्दू का जीवन आश्रमों में बंटा हुआ है। प्रथम आश्रम को ब्रह्मचार्य कहते हैं, जो विद्यार्थी-काल होता है। दूसरे को गृहस्थाश्रम कहा जाता है, जिस वैवाहिक अवस्था कहते हैं। तीसरे को वानप्रस्थ कहते है जो सांसारिक जीवन से अनाशक्ति-काल माना जाता है। चौथे काल को सन्यास कहा जाता है जो सांसारिक झंझटों से पूरी तरह मुक्त होने की अवस्था और लौकिक मृत्यु के बराबर होती है सामान्य व्यक्ति को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। समझना कठिन है कि ऐसा क्यों है? प्रत्यक्षतः महामानव के लाभार्थ यह रचना रची गई। शूद्र सन्यासी बनने के बाद महामानव की सेवा करना बंद कर देगा। शूद्र सन्यासी बनकर ईश्वर या ब्रह्मा के समीप पहुंच जाएगा जो कि महामानव के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण होगा।

मनुस्मृति के लिए गए उद्धरण यह सिद्ध करते है कि हिंदू समाज-व्यवस्था स्पष्ट तौर पर महामानव के हितो को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है इसमें हर चीज महामानव के लिए बनाई गई है महामानव ब्राह्मण है और सामान्य जन शूद्र। महामानव को अधिकार प्राप्त है, पर उसके कर्तव्य कुछ नहीं हैं। हर चीज महामानव की इच्छा पर निर्भर है। हर चीज उसकी के हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी होगी। इस विशेषता का विपरीत पक्ष आम आदमी का पतन है। महामानव की तुलना में सामान्य जन को स्वतंत्रता, संपत्ति या प्रसन्नता की आशा का कोई अधिकार नहीं है उसे महामानव के जीवन-निर्वाह तथा मान-मर्यादा के लिए हर चीज का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए। हिंदू समाज-व्यवस्था के अनुसार ऐसा परित्याग सामान्य जन को स्वेच्छा से करना चाहिए। वास्तव में यह इस बात को मस्तिष्क में बैठा देती है कि आम आदमी को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझकर महामानव के हित में परित्याग करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।

क्या इसमें कोई संदेह है कि जरथूस्त मनु के लिए नया नाम है और दस स्पेक जरथूस्त मनुस्मृति का नया संस्करण?

यदि मनु तथा नीत्शे के बीच कोई अंतर है तो वह इस बात में निहित है कि नीत्शे मानव का नया वर्ग सृजित करने में वास्तविक अभिरूचि रखता था, जो मानव जाति की तुलना में महामानव की जाति हो। दूसरी ओर मनु की अभिरूचि उस वर्ग के विशेषधिकार को बनाए रखने में थी जो वर्ग महामानव होने के अपने दावे को पुष्ट करने के लिए ही आया था। नीत्शे का महामानव अपनी योग्यता के कारण महामानव था। नीत्शे निष्पक्ष दार्शनिक था। दूसरी ओर मनु एक कर्मचारी था जिसे ऐसे दर्शन की स्थापना के लिए रखा गया था जो ऐसे वर्ग के हितों को पोषण करे जिस समूह में वह पैदा हुआ था और जिसका महामानव होने का हक उसके गुणहीन होने के बावजूद भी न छीना जाए। मनु की निम्नांकित उक्ति की तुलना करें -

10.81 यदि कोई ब्राह्मण अपने कर्तव्यों के निर्वहन करे में असमर्थ है तो क्षत्रिय का कर्म करते हुए जीवन निर्वाह करे क्योंकि वह उससे अगले वर्ण का है।

10.82 दोनों (ब्राह्मण कर्म तथा क्षत्रिय कर्म) से जीवन निर्वाह नहीं कर सकता हुआ ब्राह्मण किस प्रकार रहे? ऐसा संदेह उपस्थित हो जाए, तो वैश्य के कर्म, खेती, गोपालन और व्यापार से जीविका करे।

9.317 ब्राह्मण चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान, वह महान पूज्य व्यक्ति होता है, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि, चाहे वह शास्त्र विधि से स्थापित है अथवा सामान्य अग्नि है, पूज्य होती है।

9.319 इस प्रकार ब्राह्मण सभी प्रकार के कोई (तुच्छ) कार्य भी करे, उन्हें हर हालत में सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उत्तम देवता है।

नीत्शे द्वारा मनुस्मृति की प्रशंसा ठीक नहीं है, क्योंकि जब वह कहता है कि उनकी योजनानुसार कुलीन वर्ग, दार्शनिक तथा योद्धा जनता-जनार्दन की रक्षा करते हैं तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तो उसने इसे ठीक नहीं पढ़ा या वह गलतबयानी कर रहा है। मनुस्मृति के अनुसार महामानव का सामान्य जन पर आधिपत्य होता है, पर उसका सामान्य जन के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता।

नीत्शे के महामानव के दर्श की तुलना में मनु महामानव का पतित दर्शन कही अधिक घृणित और कुत्सित है ऐसी है उसकी समाज-व्यवस्था, जिसे हिंदू अमूल्य मानते हैं, और जिस पर श्री गांधी को गर्व है तथा जिसे वह हिंदुओं की ओर से विश्व को उपहार-स्वरूप देना चाहते हैं।

हिंदू समाज-व्यवस्था की दूसरी विशिष्टता उसके संरक्षण की तरकीब से संबंधित है इसके दो रूप है।

पहली तरकीब तो यह है कि समाज-व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राजा की है। मनु का इस संबंध में स्पष्ट मत है:

8.410 राजा प्रत्येक वैश्य को व्यापार अथवा पैसा उधार देने की अथवा खेती करने की अथवा पशु-पालन की और शूद्र व्यक्ति को द्विज की सेवा करने आज्ञा दे।

8.418 पूर्ण रूप से जाग्रत तथा सचेत होकर राजा आदेश दे कि वैश्यों तथा शूद्र अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं, तब सारा संसार भ्रम में पड़ जाता है।

मनु इस संबंध में राजा के मात्र कर्तव्य निरूपण तक ही सीमित नहीं रहता। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थापित व्यवस्था को राजा हर समय सुरक्षित बनाए रखने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। अतः आगे मनु दो उपबंधों की व्यवस्था कर देता है, पहला उपबंध तो यह है कि राजा द्वारा स्थापित व्यवस्था के बनाए रखने में विफल रहने पर इसे अपराध माना जाए जिसके लिए राजा पर अभियोग चलाया जाए तथा सामान्य घोर अपराधी की तरह उसे दंड दिया जाए। मनुस्मृति के लिए गए निम्नांकित उदाहरण से यह स्पष्ट है :

8.335 यदि पिता, शिक्षक, मित्र, माता, पत्नी, पुत्र, घरेलू पुरोहित अपने-अपने कर्तव्य का दृढ़ता व सच्चाई के साथ निष्पादित नहीं करते है तो इनमें से किसी को भी राजा द्वारा बिना दंड के नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

8.336 जिस अपराध में साधारण व्यक्ति एक पण से दंडनीय है, उसी अपराध के लिए राजा सहस्र पण से दंडनीय है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। उसे यह दंड-राशि पुरोहित को या नदी को भेंट करनी चाहिए।

स्थापित व्यवस्था के प्रति लापरवाह या उसका

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

विरोध करने वाले राजा के लिए मनु द्वारा किया गया दूसरा प्रावधान यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य राजा के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं।

8.348 यदि किसी द्विजातियों के कर्तव्य को बलपूर्वक बाधित किया जाता है या उन पर विपत्ति आती है या उनके दुर्दिन आते हैं तो वे शस्त्र उठा सकते हैं।

स्वाभाविक है, क्योंकि ऊपर वाले ये तीन उच्च वर्णों ही है, जिन्हे इस पद्धति को बनाए रखने में लाभ है। लेकिन मान लिया जाए कि क्षत्रिय इस पद्धति को नष्ट करने में राजा के साथ हो जाते हैं, तब क्या किया जाए? इस संदर्भ में मनु ब्राह्मणों को यह अधिकार देता है कि वे सभी को, विशेषकर क्षत्रियों को दंड दें।

11.31 नियमों को अच्छी तरह जाने वाले ब्राह्मण को किसी दुखदायी आघात की स्थिति में राजा से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी शक्ति द्वारा ही उस व्यक्ति को दंड दे सकता है, जो उसे आघात पहुंचाता है।

11.32 उसकी निजी शक्ति जो केवल उसी पर निर्भर करती है, राजकीय शक्ति से प्रबल होती है जो कि दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर है। अतः ब्राह्मण अपनी शक्ति के द्वारा ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है।

11.33 ब्राह्मण अपने वेद के आंगिरस श्रुति को बिना विचारे ही प्रयोग कर सकता है क्योंकि ब्राह्मण का वचन ही शास्त्र है, अतएव उससे ब्राह्मण शत्रुनाश करे।

9.320 यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के विरुद्ध सभी अवसरों पर हिंसक ढंग से शस्त्र उठाता है, तो उसे स्वंय वह ब्राह्मण ही दंड देगा, क्योंकि क्षत्रिय मूल रूप से ब्राह्मण से ही पैदा हुआ है।

जब तक ब्राह्मण हथियार का सहारा नहीं लेते, तब तक क्षत्रिय को कैसे दंडित कर सकते हैं? मनु जानता है और इसलिए व ब्राह्मण को स्वंय हथियार उठाने के लिए अनुमति देता है, ताकि क्षत्रियों को दंडित किया जा सके।

12.100 सेना पर नियंत्रण, राजकीय प्राधिकर, दंड देने की शक्ति तथा सभी राष्ट्रों के ऊपर प्रभुसत्ता-राज्य का केवल वही अधिकारी है जो वेद-शास्त्र का पूर्ण ज्ञाता है, अर्थात हो ब्राह्मण है।

स्थापित व्यवस्था के अनुरक्षण तथा परिरक्षण का दूसरा तरीका पहली तरकीब से बिल्कुल भिन्न है वास्तव में यही वह तकनीक है, जो हिंदू समा-व्यवस्था की अलग विशेषता है।

हिंसक आक्रमण से समाज-व्यवस्था के परिरक्षण के दृष्टिकोण से तीन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है क्रांति के लिए तीन कारक उत्तरदायी होते हैंः (1) न्यायविरुद्ध एहसास की उपस्थिति, (2) यह जानने की क्षमता कि व्यक्ति विशेष के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है, तथा (3) हथियारों की उपलब्धता। दूसरी बात यह कि विद्रोह को भड़कने ही न दिया जाए और यह कि विद्रोह के भड़कने के बाद उसे दबाया जाए। तीसरी बात यह कि क्या विद्रोह को रोका जाना संभव है या विद्रोह को दबाने का तरीका ही शेष है, यह उन नियमों पर निर्भर करता है, जो विद्रोह की आशंकाओं का संकेत करते हैं।

जब सामाजिक प्रणाली उन्नति के अवसर को रोकती है, शिक्षा तथा हथियार उठाने के अधिकार से वंचित करती है, जो इसका मतलब है कि यह समाज व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह को दबाने की स्थिति में है जबकि दूसरी ओर समाज-व्यवस्था शिक्षा के अधिकार को अनुमति देती है और हथियारों के उपयोग को मान्यता देती है, यह उनके द्वारा विद्रोह को नहीं दबा सकती जो अनिष्ट के शिकार होते हैं। समाज-व्यवस्था को संरक्षित रखने में पहली विधि को अपनाया गया है। इसने भावी पीढिंयों के लिए निम्न वर्गों की सामाजिक स्थिति निर्धारित कर दी है इनके आर्थिक स्तर को भी निर्धारित कर दिया गया है इन दोनों के बीच कोई असमानता नहीं है, अतः शिकायत पैदा होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें निम्न वर्गों के लिए शिक्षा की मनाही है। परिणाम यह है कि कोई भी अपनी निम्नता के प्रति सजग नहीं है। वे तो बस इतना जानते हैं कि निम्नावस्था के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है यह तो भाग्य में ही लिखा है। यह भी मान लिया जाए कि शिकायत है, शिकायत के प्रति जागरूकता भी है, तब भी निम्न वर्ग हिंदू समाज-व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू समाज-व्यवस्था सामान्य जन को हथियारों के उपयोग का अधिकार नहीं देती। मुसलमान या नाजियों जैसी समाज व्यवस्थाएं इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वे सभी को समान अवसर प्रदान करती है। इनमें ज्ञानार्जन की स्वतंत्रता है। उनमें उन्हें हथियारों के उपयोग करने की स्वतंत्रता है और वे बल तथा हिंसा का सहारा लेकर विद्रोह को दबाने का कार्य स्वयं कर सकते है। अवसर की स्वतंत्रता न देना, ज्ञानार्जन की स्वतंत्रता न देना, हथियारों के उपयोग का अधिकार न देना सबसे बड़ी निर्दयता है। इसका परिणाम यह है कि मनु मानव के हाथ-पांव काट लेता है और उसे नपुंसक बना देता है हिंदू समाज-व्यवस्था को ऐसा करने पर कोई शर्म नहीं है। तथापि, इसने दो उपनलब्धिया हांसिल की है। यह सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुई है, हालांकि स्थापित व्यवस्था को परिरक्षित करने की यह सबसे शर्मनाक विधि है दूसरे, मानवता का गला दबाने के सर्वाधिक अमानवीय तरीकों व साधनों का उपयोग करने के बावजूद यह हिन्दुओ को बहुत ही मानवीय लोग होने की प्रतिष्ठा प्रदान करती है वास्तव में नाजियों को हिन्दुओं से बहुत कुछ सीखना था। यदि उन्होंने जनता को दबाने की हिंदूवादी तकनीक अपनाई होती, जो वे बिना किसी खुली बर्बरता के यहूदियों को कुचलने में सफल हो गए होते तथा स्वंय को मानवता का अवतार भी सिद्ध कर सकते थे।

हिंदू समाज-व्यवस्था की तीसरी निराली विशेषता यह है कि यह स्वयं ईश्वर द्वारा बनाई गई दैवीय व्यवस्था है। चूंकि यह पवित्र व्यवस्था है, अतः इसका निराकरण, संशोधन, यहां तक की इसकी समीक्षा भी नहीं की जा सकती। हिंदू समाज-व्यवस्था के दैवी चरित्र के बारे में किसी भी संदेह में निवारण के लिए भगवत्गीता तथा मनुस्मृति के निम्नांकित श्लोकों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। हिंदुओं के ईश्वरों में से एक ईश्वर श्रीकृष्ण जिसका शब्द की भगवत्गीता है, कहता हैः

4.13 गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं और इनकी रचना मेरे द्वारा ही की गई है।

18.41.44 हे परंतप! ब्राह्मण-क्षत्रिय, वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म-स्वभाव से उत्पन्न हुए गुण विभक्त किए गए हैं। अंतः करण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर-भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा-भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि-शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्व तत्व का अनुभव ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुराई और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ-पालन और क्रय-विक्रय रूप, सद्व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और इसी प्रकार सब वर्णों के सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है।

कृष्ण हिंदू समाज-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करने को निषिद्ध मानते हैं। वे कहते हैंः

3.26 कार्य में संलग्न अनजान लोगों द्वारा कार्य करते रहने की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को लोगों को उनके काम में ही लगाए रखना चाहिए, और कार्य में रत अनजान (मूर्ख) लोगों के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, वरन्, स्वयं निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए उन्हें स्वयं सभी प्रकार के कार्यों में लगाए रखना चाहिए...। पूर्ण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इन अपूर्ण ज्ञान रखने वाले लोगों का विश्वास नहीं तोड़े।

हिन्दु समाज-व्यवस्था के विफल हो जाने पर भी कृष्ण नहीं चाहते कि लोग उसमें सुधार लाने का कार्य करें। वे कहते हैं कि वे यह कार्य उन पर छोड़ दें। भगवत्गीता की निम्नांकित भर्त्सना से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है :

कृष्ण के अनुसार :

4.7.8 हे! भारत, जब-जब धर्म की हानि होती है और अर्धम बढ़ता है, तब-तब मै। स्वयं प्रकट होता हूं। मैं साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अलग-अलग युगों में जन्म लेता हूं।

हिंदु समाज-व्यवस्था की यह एकमात्र विशेषता नहीं है यह तो एक असाधारण विशेषता है प्राण प्रतिष्ठा की समीक्षा से पता चलेगा कि ऐसे उदाहरण हैं कि समाज ने निर्जीव वस्तुओं की प्राण-प्रतिष्ठा की है और इसके अनुयायियों के दिमाग में यह धार्मिक विश्वास बिठाया है कि वे पवित्र हैं। ऐसे उदाहरण है जहां पत्थरों, नदियों, पेड़ों को देवी-देवता बना दिया गया है ऐसे उदाहरण है, जहां समाज ने सजीव वस्तुओ की प्राण-प्रतिष्ठा की और समाज के लोगों के दिमाग में यह धार्मिक विश्वास बिठाया है कि वे पवित्र हैं। लेकिन ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी विशिष्ट समाज-व्यवस्था की प्राण-प्रतिष्ठा की गई हो और उसे पवित्र बनाया गया हो। प्रारंभिक समाज की अपनी कुल देव-व्यवस्था थी। लेकिन कुल या जनजातीय व्यवस्था केवल समाज-व्यवस्था थी, धर्म द्वारा उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कभी नहीं की गई थी और न ही उसे कभी पवित्र तथा संशय रहित बनाया गया था। मिस्र, फारस, रोम, यूनान जैसे संसार के पुराने देशों में से हरेक की अपनी समाज-व्यवस्था थी जिसमें कुछ लोग स्वतंत्र होते थे तथा कुछ दास होते थे, कुछ नागरिक होते थे, कुछ संबंद्ध होते थे, कुछ एक प्रजाति के ही थे, तथा कुछ दूसरी के। पुनः यह वर्ग-व्यवस्था मात्र समाज-व्यवस्था होती थी और उसकी धर्म द्वारा कभी भी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की गई और न ही कभी उसे पवित्र और सनातन बनाया गया। आधुनिक युग में उसकी अपनी व्यवस्था है कुछ में प्रजातंत्र है, कुछ में फासिस्ट है, कुछ नाजीवाद के हामी है तो कुछ में साम्यवाद है लेकिन यह व्यवस्था मात्र समाज-व्यवस्था है इसकी धर्म द्वारा प्राणप्रतिष्ठा नहीं की गई और न ही इसे पवित्र और संशय रहित बनाया गया।

समाज ने अपने व्यवसायों (जीविकोपार्जन के उपायों) की कहीं भी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं की है। आर्थिक क्रियाकलाप हमेशा ही धार्मिक पवित्रता की परिधि से बाहर रहे हैं। शिकारी समाज बिना किसी धर्म के नहीं रहा लेकिन शिकार करने को एक व्यवसाय के रूप में कभी प्रतिष्ठा नहीं दी, और न ही पवित्र बनाया गया। कृषि को भी व्यवसाय के रूप में धर्म द्वारा प्रतिष्ठत नहीं किया गया, और न ही पवित्रता का जाम पहनाया गया। चरवाहा समाज कभी भी बिना धर्म के नहीं रहा। किंतु चरागाह कभी भी प्राण-प्रतिष्ठत नहीं किया गया और पवित्र नहीं बनाया गया। कुलीन और सामंत वर्ग तथा दास समाज में थे, किंतु यह मात्र सामाजिक व्यवस्था थी। यह धर्म बंधनों से भिन्न थी।

हिंदू समाज में ही मानवीय संबंधों को धर्म का आवरण ओढ़ाकर अनुबंधनीय बना दिया गया है। हिंदुओं में कामगारों के परस्परिक संबंधों की भी सीमाएं बांध की गई हैं। उन्हें कड़ियों और सनातन संशयहीनता के शिकंजे में कस दिया गया है।

अतः क्या यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हिंदू ऐसे लोग हैं, जिनके धर्म की पवित्र संहिता है। ठीक ऐसे ही जरथूस्त, इजराइली, ईसाई तथा मुसलमान हैं। इन सबकी पवित्र संहिताएं है। ये विश्वासों तथा संस्कारों को प्राण प्रतिष्ठत करते हैं तथा उन्हें पवित्र बनाते हैं लेकिन वे निर्धारित नहीं करते, न ही वे इंसान-इंसान के बीच के संबंध को मूर्त रूप में प्राण प्रतिष्ठत करते हैं और उसे पवित्र तथा अखंड बनाते हैं। इस मामले में हिंदू अनोखे हैं। यही बात है जिसने हिंदू समाज-व्यवस्था को समय के विप्लव और आक्रमण का सामना करने की दृढ़ शक्ति प्रदान की है।

कट्टर हिंदू यह स्वीकार करेगा कि हिंदू समाज-व्यवस्था का यह विशुद्ध विवरण है। केवल सुधारक ही तर्क-वितर्क कर सकता है। वह कहेगा कि अंग्रेजों के आने के बाद यह तो इतिहास की बात बन चुकी है। किसी को इस विचार से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना प्रपंच है यह इस तथ्य को भूल जाते हैं कि जो संस्था संप्रदायों के रूप में लुप्त हो जाती है, यह आदतों के रूप में तो जीवित रहती ही है। कोई भी इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि हिदूं समाज-व्यवस्था हिंदूओं की आदत बन गई है और

साभार
डा० अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खण्ड 6
पृ.सं. 147 से 160 तक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

पन्द्रहवीं पहेली - ब्राह्मणों ने अहिंसक देवता के साथ रक्त पिपासु देवी क्यों बांधी?

जब ब्राह्मणों ने मांस–मंदिरा का सेवन आरम्भ कर दिया तो उन्हें पुराणों में पशुबलि की वकालत करने में कोई संकोच नहीं हुआ। एक पुराण का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है। वह है काली पुराण। यह पुराण स्पष्ट रूप से देवी काली की पूजा को प्रचारित करने के लिए लिखा गया था। इस पुराण में एक अध्याय का नाम ही 'रूधिर अध्याय' है।

मैं रूधिर अध्याय का सारांश देता हूं। इस अध्याय में शिव ने तीन पुत्रों बेताल, भैरव और भैंरों को निम्न प्रकार से सम्बोधित किया है :

'मेरे पुत्रो! देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सम्पादित होने वाले संस्कार और नियमों के विषय में , मैं तुम्हें बताता हूँ।'

'वैष्णवी तंत्र में जो प्रावधान किया गया है, उनका सभी अवसरों पर सभी देवताओं को बलि चढ़ाकर पालन किया जाए।

'पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मीन, वन्य जंतुओं की नौ प्रजातियां, भैंसा, वृषभ, बकरा, नेवला, जंगली–सुअर, दरियाई घोड़ा, मृग, बारहसिंगा, बाद्य, मनुष्य और बलिदाता का स्वंय का रक्त चण्डिका देवी और भैंरों की पूजा के उचित पदार्थ हैं।'

'बलि चढ़ाने से ही राजाओं को सुख, स्वर्ग और शत्रु विजय प्राप्त होती है।'

'देवी, मछली और कच्छप के चढ़ाने से एक माह की अवधि के लिए खुश रहती है और मगरमच्छ से तीन मास तक, वन्य जंतुओं की नौ प्रजातियों से देवी नौ महीने प्रसन्न रहती हैं और इस अवधि में वह भक्त का कल्याण करती हैं। गौर, नीलगाय के रक्त से एक वर्ष और मृग तथा जंगली सुअर से बारह वर्ष तक संतुष्ट रहती है। सरभ का रक्त देवी को पच्चीस वर्ष तक संतुष्ट रखता है, भैंस तथा दरियाई घोड़े का रक्त एक सौ वर्ष और बाद्य का भी इतने ही वर्ष संतुष्ट रखता है। सिंह और बारहसिंगा और मानव–जाति का रक्त एक हजार वर्ष तक प्रसन्न रखता हैं। इनके मांस से भी उतनी ही अवधि तक संतुष्टि होती है, जितने दिन इनके रक्त से। अब दरियाई घोड़े और मृग के मांस तथा रोहू मछली के चढ़ाने का फल सुनो।'

''मृग और दरियाई घोड़े के मांस से देवी पांच सौ वर्ष तक और रोहू मछली तथा बारहसिंगे से मेरी प्रिया (काली) तीन सौ वर्ष तक संतुष्ट रहती हैं।'

'आठों पहर में दो बार पानी पीने वाली रेवड़ की प्रमुख कृशकाय बच्चों वाली इकरंगी बकरी बध्रिनासा कहलाती है। वह सर्वोत्तम हव्य और कव्य हैं।

''नीली ग्रीवा, लाल शीर्ष, श्याम टांगों और श्वेत पंखों वाला पक्षी भी वर्धुनासा कहलाता है। वह पक्षीराज है और मेरा तथा विष्णु का प्रिय है।'

'निम्नांकित विधि से दी गई मानव बलि से देवी एक हजार वर्ष तक प्रसन्न रहती है और तीन मनुष्यों की बलि से एक लाख वर्ष तक। मेरे रूपधारी कामाख्या, चण्डिका और भैरव मनुष्य के मांस से एक हजार वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। रक्त का अर्ध्य पवित्र मंत्रों में अमृत बन जाता है, कामाख्या को शीश अर्पित किया जाए तो वह अति प्रसन्न होती हैं। जब ज्ञानी देवी को चढ़ावा चढ़ाऐं तो रक्त और शीश अर्पित करें और जब अग्नि को आहूति दें तो मांस डालें।

'भक्त इस बात से सचेत रहें कि अशुद्ध मांस अर्पित न किया जाए क्योंकि वे स्वंय शीश और रक्त को अमृत मानते हैं।

'बेल पर लगने वाला फल, गन्ना, नशीली मदिरा, सड़ाई हुई मदिरा भी अन्य आहुतियों के सामने माने जाते हैं और देवी को उतने काल तक प्रसन्न रखते हैं जैसे कि बकरी की बलि से।

'बलि के लिए चन्द्रहास सर्वोत्तम हथियार है, छुरे का दूसरा स्थान है जबकि कुदाली एक निकृष्ट साधन है।

'इन शस्त्रों के सिवाय बलि के लिए बरछी अथवा बाण का प्रयोग न किया जाए क्योंकि उस बलि को देवी स्वीकार नहीं करती और बलिदाता का मरण हो जाता है, जो अपने हाथों बलि के पशु अथवा पक्षी का शीश मरोड़ देता है, वह भी उतना ही पापी है, जितना ब्रह्म–हत्यारा, उसे भारी दुःख झेलने पड़ते है।

ज्ञानी को इस उद्देश्य से बनी कुल्हाड़ी को मंत्रों से पवित्र करके प्रयोग करना चाहिए जैसा कि दुर्गा और कामाख्या के विषय में विशेष रूप से उल्लेख है।

काली का नाम दो बार लिया जाए फिर कहा जाए 'देवी ब्रजेश्वरी लाव्हां दंदयी नमः' ये शब्द इस प्रकार उच्चारे जाएं ''जय! काली! काली जय! देवी! दामिनी देवी लौह खड्गधारी.....'' फिर वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले और निम्नांकित काल रात्र्य मंत्र से फिर अग्नि चेतन करें।

'बलिदाता कहेः हरंग–हिरंग, काली, काली' भयंकर दांतों वाली देवी, खा, काट, अनिष्ट हर, कुल्हाड़ी से काट, झुक झपट, रक्त पी, उठा उठा। इस प्रकार काली वंदना काल–रात्र्य मंत्र कहलाती है।

इस मंत्र से किया गया वार काल–रात्र्य कहलाता है। काल–रात्रि (अंधकार की देवी) स्वंय, बलिदाता के शत्रु का संहार करती है।

'बलिदाता को पूर्व निर्देशानुसार बलि देनी चाहिए और बलि–पशु से निम्न प्रकार कहें।

प्राणी कर्त्ता की सृष्टि है, वह आत्म बलिदान करे। इसलिए मैं तेरा जीवन लेकर बिना पाप किए तेरा बलिदान कर रहा हूं।'

'बलिदाता उस देवता का नाम ले, जिसके लिए बलि दी जा रही हो। वह प्रयोजन बताए, जिसके लिए बलि दी जा रही है और उपरोक्त मंत्र के साथ बलि चढ़ा दे। उसका मुख उत्तर को हो चाहे पहले किसी अन्य दिशा में हो, बलिदाता अपना मुख उत्तर में रखे और बलिपात्र को पूर्व दिशा में रखें' बलि चढ़ाने के बाद उसमें 'नमक जरूर मिलाया जाए और पूर्वोक्त के अनुसार रक्त भी।

'जिस पात्र में रक्त अर्पित किया जाए, वह भक्त की परिस्थिति के अनुकूल हो सकता है। सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का, दोना अथा मृदापात्र, बलि में प्रयुक्त होने वाले काष्ठ भी मान्य है।

'वह लौह–पात्र अथवा पशुओं की खाल या वृक्ष–छाल, जस्ता या शीशे के बर्तन में भेंट न किया जाए, श्रब और श्रच अथवा भूमि पर भेंट न चढ़ाई जाए। घट का प्रयोग भी निषिद्ध है। रक्त धरती पर न उडेला जाए, वह पात्र उपयोग में लाया जाए, जिसका प्रयोग अन्य अवसरों पर देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति सम्पदा चाहता है, वह इन पात्रों का उपयोग न करें। मानव–रक्त केवल धातु अथवा मिट्टी के बर्तन में चढ़ाया जाए। पत्रों के द्रोण अथवा वैसे ही पात्रों में न चढ़ाया जाए।'

''अश्वमेध यज्ञ को छोड़कर अश्व की बलि देना अनुचित है। गजमेध के अतिरिक्त हाथी की बलि भी अनुचित है। राजा यह देखें कि इन अवसरों को छोड़कर यह बलियां न दी जाएं। किसी भी दशा में ये देवियों को न चढ़ाए जाएं। अवसर पड़ने पर अश्व के स्थान पर जंगली सांड चढ़ाया जा सकता है।''

''ब्राह्मण देवी को कभी सिंह अथवा बाघ या अपने रक्त की बलि न दें, न ही नशीली शराब चढ़ाएं। यदि कोई ब्राह्मण सिंह, बाघ अथवा मानव की बलि चढ़ाता है तो वह नरक जाएगा और जितने समय धरती पर रहेगा, दुःख–दारिद्र भोगेगा।'

'यदि कोई ब्राह्मण अपना रक्त अर्पित करता है तो वह ब्रह्महत्या के समान है और यदि वह मादक मदिरा चढ़ाता है तो वह ब्राह्मण नहीं रहता।'

''कोई शास्त्री मृग न चढ़ाए; यदि वह चढ़ाता है तो ब्रह्महत्या की भागी होता है। जहां कहीं सिंह, बाघ और मानव या जौ के गीले आटे की आकृतियों बना ली जाएं, उनकी बलि इसी प्रकार चढ़ाई जाए जैसे जीवित प्राणियों की चढ़ाई जाती है। कुल्हाड़ी मंत्रोचार के साथ चलाई जाए।'

यदि कई पशुओं की बलि देनी हो तो केवल दो अथवा तीन को ही देवी के समक्ष लाना पर्याप्त है जो सभी की उपस्थिति मानी जाएगी। हे भैरव! मैंने तुम्हें उत्सव की सामान्य बातें बता दी हैं और यह भी बता दिया है कि बलि कैसे हो और किन अवसरों पर कौन से मंत्र पढ़े जाएं।

जब देवी भैरवी, या भैरव को भैंस की भेंट चढ़ाई जाए तो बलिपशु के समक्ष निम्नांकित मंत्र पढ़ा जाएः

'हे भैंस, जिस रीति से तू घोड़े का नाश करती है, जिस रीति से तू चंडिका तक जाती है, तू मेरे शत्रु का उसी प्रकार विनाश कर और मुझे समृद्ध बना।'

''हे मृत्यु के युद्धाश्व! श्रेष्ठ और अविनाशी स्वरूप, मुझे चिरायु कर और विख्यात कर। है भैंस, तुझे नमन!

''अब मानव–रक्त की भेंट चढ़ाने संबंधी विवरण सुनो।

''मानव की बलि पवित्र पूजा स्थल पर अथवा श्मशान में दी जाए। पूजा उपरोक्तानुसार श्मशान क्षेत्र में या कामाख्या मंदिर अथवा पहाड़ी पर की जाए। अब उसकी विधि सुनो।

''श्मशान मेरा रूप है और यह भैरव कहलाता है। इसमें एक दिशा होती है, जो तंत्र–स्थल कहलाती है। पूजा इन दो दिशाओं में होती है। तीसरे को हरूका प्रभुत्व होता है।

सम्पूर्ण पूजा–विधि और पवित्र स्थान पर किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाते समय, बलि चढ़ाने वाले द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह बलि पशु पर नजर गड़ा कर न देखें।

अन्य अवसर पर भी बलि चढ़ाने वाला बलि–पशु पर दृष्टि न गड़ाए बल्कि सिर निगाह हटाकर चढ़ाया जाए।

''बलि–प्राणी देखने में अच्छा हो, पूजा के साथ उसे तैयार किया जाए। वांछित विधियां सम्पन्न की जाएं, जैसे एक दिन पूर्व मांस रहित पवित्र भोजन कराकर और उसकी पूजा करके उसे पुष्पहार पहनाया जाए और चंदन से सुगंधित किया जाए।

''फिर उसका मुख उत्तर की ओर रखें, बलि–पशु के विभिन्न स्वामी देवों की पूजा की जाए। फिर नाम पुकार कर बलि–पशु की पूजा की जाए।

''इस प्रकार बलिदाता बलिपात्र की पूजा करें, वे मंत्र उच्चारे जो इस अवसर के लिए उपयुक्त हैं और जिनका पूर्व उल्लेख किया जा चुका है।

''किसी चौपाए पशु अथवा मादा पक्षी की या किसी स्त्री की बलि न चढ़ाएं, इस प्रकार बलिदाता नरक में जाता है। यदि पशु–पक्षी पर्याप्त संख्या में हैं तो मादा की बलि दी जा सकती है, किन्तु मनुष्यों के सबंध में क्षम्य नहीं है।

''किसी ब्राह्मण अथवा चाण्डाल की बलि न दी जाए, न राजकुमारों की संतान की ही और न युद्ध में विजेताओं की, न ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतान की, न संतानहीन भ्राता, न पिता की, न विद्धान की और न ही किसी अनिच्छुक व्यक्ति की। जो ऊपर गिनाए जा चुके हैं, उनके अतिरिक्त अज्ञात नाम के पशु–पक्षियों की बलि भी अनुकूल है। यदि उपरोक्त में कोई उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर गधे अथवा ऊंट की बलि दी जा सकती है। यदि अन्य पशु उपलब्ध है तो बाघ, ऊंट और गधे की बलि से परहेज किया जाए।

''जब बलिपात्र की पूजा कर ली जाए, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो अथवा पक्षी, तो पूर्वोक्त के अनुसार बलिदाता निर्धारित मंत्र का पाठ करें और देवता का आह्वान करते हुए बलि चढ़ा दें।

''मनुष्य का सिर देवी के दक्षिण में रखा जाए और बलिदाता देवी के सम्मुख खड़े होकर उनका आह्वान करें। पक्षी का रक्त बायीं आरे चढ़ाया जाय और पूजा करने वाले व्यक्ति के अंगों का रक्त सामने चढ़ाया जाए। मांसाहारी पशु अथवा पक्षियों के सिर से निकलने वाले रक्त रूप अमृत, जल–जीवों के रक्त को बाएं हाथ से अर्पित करें।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

मृग, कच्छप, दरियाई घोड़े और शशक का रक्त, सिर और मछली सामने चढ़ाई जाए।

समर्पण दीप या तो दाएं हाथ में रखें अथवा सम्मुख किसी भी दशा में, बाएं हाथ में नहीं। सुगंधि बाईं ओर की जाएं या समक्ष किन्तु दाईं ओर नहीं। सुगंध, पुष्प और आभूषण सम्मुख रखे जाएं। जो विधि बताई, उसका पालन किया जाए। अन्य पेयों के पश्चात बाईं ओर मदिरा चढ़ाई जाए।

''यदि प्रेत-आत्माओं की पूजा नितांत अनिवार्य हो तो पहले वर्ग के तीन व्यक्तियों को पीतल-पात्र में नारियल का पानी, अथवा ताम्रपात्र में शहद दिया जाए। दैवी विपदा के समय भी, पहले तीन वर्गों के व्यक्ति मादक मदिरा भेंट चढ़ाएं जो पुष्पों से बनी नहीं होनी चाहिए अथवा दमपुख्त भोजन न परोसा जाए। राजकुमार, मंत्रीगण, अमात्य और कलाल धन-सम्पदा के लिए मानव-बलि चढ़ाएं।

''यदि राजकुमार की सहमति के बिना मानव-बलि चढ़ाई जाती है तो बलिदाता पाप करता है। युद्ध के अवश्यंभावी भय की दशा में बलि केवल राजकुमार या मंत्रियों द्वारा चढ़ाई जाए। किसी और के द्वारा नहीं।

''मनुष्य को बलि से एक दिन पूर्व मंत्र सुना कर और दैवी गंध से तैयार किया जाए और उसके शीश को कुल्हाड़ी से छुआएं। कुल्हाड़ी पर चंदन का लेप करें। फिर कुछ चंदन कुल्हाड़ी से छुड़ाएं और बलि-पात्र की गर्दन पर मलें।

''फिर अम्बे अम्बिका आदि का मंत्र पढ़ें। रौद्र और भैरव मंत्र पढ़ा जाए। इस प्रकार शुद्ध किए गए मनुष्य की देवी स्वयं रक्षा करेंगी, उसे कोई व्याधि नहीं होगी। शोकादि से उसका मानस भी विचलित नहीं होगा। उसके किसी परिजन की मृत्यु से भी उसकी शुचिता भंग नहीं होगी।

''बलि पात्र को रस्सी बांधकर और मंत्रों से रक्षित कर उसके सिर पर वार किया जाए और उसे सावधानी पूर्वक देवी को चढ़ाया जाए। यह बलियां शत्रुओं की संख्या के अनुपात में हों, फिर शत्रु विनाश के लिए मंत्र के साथ शत्रु की आत्मा उसमें डालकर कुल्हाड़ी से बलि-पात्र का सिर काटा जाए। बलि चढ़ जाने के बाद वह शत्रु का विनाश करेगी।

''पूजा के घोषित उद्देश्य के लिए ऐसे व्यक्ति का रक्त लिया जाए, जिसका शरीर और मन स्वच्छ तथा शुद्ध हो, भय-मुक्त हो। उसे कमल-दल में भर कर मंत्रोचार के साथ चढ़ाया जाए।

''रक्त यदि छुरे या कुल्हाड़ी से चीरा देकर निकाला जाता है तो यह शस्त्र के अनुपात के अनुसार सुखद होता है।

''बलि चढ़ाने वाला कमल-दल में उपस्थित रक्त की एक चौथाई मात्रा चढ़ाए परंतु किसी भी दशा में इससे अधिक नहीं होना चाहिए, शरीर का भाग आवश्यकता से अधिक नहीं काटा जाना चाहिए। जो अपना रक्त अथवा मांस स्वेच्छा से अर्पित करें। मांस के लिए वह अलसी, मांस, तिल अथवा मदिरा प्राप्त करें।''

काली पुराण, धर्म का यह उपदेश देता है :

मनु द्वारा सदियों तक निर्दिष्ट अंहिसा तंत्रों द्वारा ध्वस्त कर दी गई, जिसका यह विकृततम रूप है। इसमें पशु और मानव हिंसा का प्रभुत्व है। हिंसा का यह उपदेश, जो काली पुराण के रूधिर आध्याय में दिया गया है, काफी प्रचलित हो गया था। पशु-बलि के पुनर्रारम्भ के प्रमाण कलकत्ता के काली मंदिर में मिलते हैं। यह मंदिर पूरी तरह वधशाला बन गया है जहां हजारों बकरे, देवी काली को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाए जाते हैं। यह काली पुराण के उपदेशों का परिचायक है। आजकल देवी काली को मनुष्य बलि नहीं चढ़ाई जाती। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत ऐसे अनेक साक्ष्य हैं कि काली पुराण के उपदेशों के अनुसार पशु-बलि की तरह ही मानव-बलि दी जाती थी। डॉ० राजेन्द्रलाल मित्र ने लिखा है :

''यह सर्वविदित है कि बहुत समय तक यह पूजा (मनुष्य-बल) पूरे हिन्दुस्तान में आम बात थी। ऐसे लोगों का अभाव नहीं है, जिन्हें संदेह है कि भारत में कुछ ऐसे स्थल हैं, जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए कभी-कभार आज भी मनुष्य की बलि दे दी जाती है। वामाचारियों से संबद्ध पुराने परिवारों में, जिनके पूर्वजों ने दुर्गा और काली-पूजा में विधिपूर्वक मानव-बलियां दी थीं, आजकल भी जीवित मनुष्यों के स्थान पर उनके पुतलों की बलि चढ़ाई जाती है। एक फुट ऊंचा पुतला खोए से बनाया जाता है और काली पुराण की विधि के अनुसार उसका बलिदान किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि उस पुतले में प्राण-प्रतिष्ठा के लिए कुछ मंत्र और जोड़ दिए गए हैं। चौबीस परगना के मेरे डिप्टी कलेक्टर मित्र बाबू हेमचन्द्र केर ने बंगाल में पटसन संस्कृति पर एक उत्तम पुस्तक लिखी हैं उन्होंने मुझे बताया कि बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों में इस प्रकार की बलि प्रायः दी जाती है। परन्तु पुतला एक व्यक्ति द्वारा न काटा जाकर परिवार से सभी वयस्क लोगों द्वारा एक साथ काटा जाता है। वे या तो अलग-अलग चाकुओं से एक साथ वार करते हैं अथवा एक ही चाकू को संयुक्त रूप से पकड़ते हैं। इसे शत्रुबल कहा जाता है। नरबलि और शत्रुबलि गुप्तरूप से मध्यरात्रि में दी जाती है। बहरहाल, शत्रुबलि कालिका पुराण की नरबलि से एक भिन्न पूजा है, इसका निर्देश वृहन्नला तंत्र में है, जिसमें कहा गया है कि उल्लिखित अन्य पूजाएं सम्पूर्ण हो जाने के बाद राजा को खोए से बने अपने शत्रु (पुतला स्वरूप) की बलि देनी चाहिए। उसे अग्नि के समान दहकली आंखों से देखें। भरपूर वार करें और एक ही बारी में उसके दो टुकड़े कर दें। इससे पूर्व उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कर ली जाए और जिस व्यक्ति का विनाश किया जाना है, उसका नाम लिया जाए। ओ महेश भार्या! उसके शत्रु का नाश कर।

इस संबंध में यह जानना महत्वपूर्ण है कि काली शिव की पत्नी हैं। प्रश्न यह है कि क्या शिव पशुबलि स्वीकार करते हैं? उत्तर यह है कि एक समय शिव पशु-बलि पर निर्भर थे। आज के शिवभक्तों को यह बात अनोखी लग सकती है। परन्तु यह यथार्थ है और जो कोई इसका प्रमाण चाहे, वह आश्वलायन गृहयसूत्र देखें जिसमें शिव की संतुष्टि के लिए वृषभ की बलि का विस्तृत विवरण है। मैं इस आश्वलायन गृह्य-सूत्र का यथावत पाठ प्रस्तुत करता हूं। उसका कथन है:

1. अब छिद्रित वृषभ (रूद के लिए) बलि चढ़ाया जाता है।
2. आर्द्रा-नक्षत्र में अथवा वसंत में।
3. अपने झुण्ड में समाविष्ट।
4. (बृषभ) न कोढ़ी और न ही चितला।
5. कुछ के मत में काली चित्ती वाला।
6. यदि वह चाहे, काला, यदि इच्छा हो तो ताम्रवर्णी।
7. वह उस पर पानी छिड़कता है, जिसमें उसने चावल और जौं डाले होते हैं।
8. सिर से पूंछ तक (सर्वांग)
9. मंत्र (सहित) महान देव रूद्र के लिए तैयार हो जा।
10. वह उसे बड़ा होने दे, जब उसके दांत आ जाएं अथवा बृषभ बन जाए।
11. उस क्षेत्र में जो विशिष्ट रूप में शुद्ध हो।
12. ऐसे स्थान पर जो गांव से दिखाई न दे।
13. मध्यरात्रि के पश्चात।
14. कुछ के मत में सूर्योदय के पश्चात।
15. फिर पूजा के ज्ञाता ब्राह्मण को बिठाएं। इससे पहले पेड़ के पत्तीदार तने से बलिखम्ब बनाएं, उसमें दो लताओं अथवा कुशा की दो रस्सियां मेखला की तरह बांधे। एक सिरा बलि-पशु के सिर के मध्य में बांधे। फिर वहीं मंत्र बोलें कि जिसकी बलि के लिए लाया गया है, उसकी सहमति से मैं तुझे बांधता हूं।
16. पानी का छींटा उसी प्रकार दिया जाएगा जैसे पशु-बलि में दिया जाता है।
17. हमें भिन्नता बचानी होगी।
18. फिर श्रुतानुसार पत्री के साथ बलि दी जाए।
19. (मंत्र) के साथ ''तव हर, मृदा, सर्व शिवा, भव, महादेव, उग्र, भीम, पशुपति, रूद्र, शंकर, ईशाना स्वाहा''।
20. अथवा अंतिम छ (सूत्र के)।
21. अथवा मंत्र ''तव रूद्र स्वाहा''।
22. फिर चारों दिशाओं में बलि अर्पित करें। मंत्र का भाव है ''रूद्र, यह भेंट तुझे प्रस्तुत है। तू मुझे हानि न पहुंचा।'' इस प्रकार चारों दिशाओं में भेंट चढ़ाई जाए।
23. निम्नांकित मंत्रों से चारों दिशाओं की पूजा की जाए ''रूद्र हम क्या करें''। ''यह प्रार्थना रूद्र के लिए है'' ''हे पिता तेरे लिए'' ''अति नमन के साथ ये गीत रूद्र के लिए हैं''। (ऋग्वेद 1.43, 114, 11,33 सप्तम 46)
24. रूद्र के लिए सभी बलियों के समय इस क्षेत्र-पूजा की जाए।
25. (चावल की) पुआल और भूसी, पूंछ और खाल, सिर, पैर, (बलि दिए गए पशु के) अग्नि में डाले जाएं।
26. समवात्य के अनुसार खाल का कुछ उपयोग किया जाए।
27. अग्नि के उत्तर में दूर्बा घास पर या कुशा के घेरे में (बलि दिए गए पशु का) रक्त चढ़ाया जाए। उसके मंत्र का भाव है, फुफकारने वाले, गर्जनवाले, ढूंढने वाले जकड़ने वाले सरिसृप जो यहां है, यह तेरे लिए है, इसे ग्रहण कर''।
28. फिर उत्तर की ओर घूमकर, जो सरिसृप के लिए नियत है, कहें-फुफकारने वाले सरिसृप, यहां जो कुछ है, तेरे लिए, इसे ग्रहण कर।
29. बलिदाता जानता है कि सभी नाम, सभी आयोजक, सारी उत्तेजना से वह प्रसन्न होता है।
30. उन व्यक्तियों की भी वह हानि नहीं करेगा जो पूजा में बैठते हैं। ऐसा समझा जाता है (श्रुति में)।
31. वह बलि के भाग में साझीदार नहीं होगा।
32. वह बलि से संबद्ध कोई, पदार्थ गांव में नहीं ले जाएंगे।
33. वह बलि-स्थान से अपने लोगों को दूर रखेंगे।
34. पर वे एक निर्दिष्ट अवसर पर वह (बलि के भोजन) से भाग ले लें, वह सौभाग्यशाली होगा।
35. कटे हुए बृषभ की बलि से धन, क्षेत्र, शुद्धता, पुत्र, पशु, दीर्घायु, दीप्ति मिलती है।
36. बलिदान के पश्चात वह अन्य पशु न खाए।
37. उसे ऐसे पशुओं का अभाव नहीं रहेगा।
38. फिर वह पशु-विहीन नहीं रहेगा-ऐसा जाना जाता है (श्रुति में)।
39. वह संततीय मंत्र जपता हुआ अपने घर जाए।
40. यदि उसके पशुओं को व्याधि हो तो वह गोशाला में ही उसी देव के लिए बलि दे।
41. पके भोजन का भोग जो उसने बलि में चढ़ाया।
42. बलि-स्थल की घास और अग्य आग में डाल दिया जाए, और वह अपनी गायों को धुएं के बीच से निकालें।
43. संततीय मंत्र पढ़ते हुए वह पशुओं के बीच जाएं।
44. शौनक को नमन-शौनक को नमन।

आजकल शिव, पशु-बलि स्वीकार नहीं करते। शिव-पूजा का यह रूप अहिंसा स्वीकार करने के पश्चात बदला है। हिंसा से अहिंसा के बाद ब्राह्मणों ने शिव को हिंसक से अहिंसक बना डाला। शिव के अहिंसक देवता बन जाने के बहुत बाद काली-पूजा आरम्भ हुई। कुछ भी हो, उनकी पत्नी काली हिंसक देवी बन गई। परिणाम यह हुआ कि हमें अहिंसक (रक्तपात हीन) देवों को पत्नी रूप में क्रूर-रक्तपिपासु स्त्रियां (देवियां) मिलीं। क्या यह पहेली नहीं हैं? ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया?

साभार :
संपूर्ण वाड्मय खंड 8
पृ.सं. 126 से 136 तक।
बाबा साहेब डा. अम्बेडकर

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

कानपुर विकास प्राधिकरण

द्वारा

विभिन्न योजनाओं में आवासीय/गैर आवासीय 337 भूखण्डों का ई-ऑक्शन

पहले भूखण्ड देखें — **फिर बोली लगाएं**

ई–ऑक्शन पंजीकरण अवधि 30.08.2023 से 29.09.2023 तक

ई–ऑक्शन में बोली लगाने की अवधि 31.08.2023 पूर्वान्ह 11 बजे से 30.09.2023 अपरान्ह 5 बजे तक

ई-ऑक्शन के माध्यम से विज्ञापित आवासीय/गैर आवासीय भूखण्डों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग मी.) में	भू-उपयोग	कुल भूखण्डों की संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्गमी. रू0 में
1.	सीसामऊ	2351 से 2682	ग्रुप हाउसिंग	3	62740
2.	महावीर नगर विस्तार	572 से 1832	नर्सरी स्कूल	7	35300
3.	शताब्दी नगर	7799	स्कूल	1	35300
4.	शताब्दी नगर	977	पैट्रोल पम्प	1	70500
5.	जवाहरपुरम्	300	आवासीय	9	35300
6.	शताब्दी नगर	112.50 से 200	आवासीय	42	35300
7.	जरौली	1453.78	नर्सिंग होम	1	52100
8.	कैटिल कालोनी	144 से 1200	व्यवसायिक/दुग्ध व्यवसाय	8	12600 से 29800
9.	न्यू ट्रान्सपोर्ट नगर	197.6 से 2031.92 तक	व्यवसायिक	234	28800 से 30100
10.	सुजातगंज	180 से 297.66	आवासीय	3	36500
11.	किदवई नगर वार्ड- 1	167.29	व्यवसायिक	11	84200
12.	स्वर्णजयन्ती विहार	24.68	दुकान	17	43700

विस्तृत विवरण तथा नियम व शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in के ई–ऑक्शन पोर्टल पर उपलब्ध है।
भूखण्डों के नम्बर एवं वास्तविक क्षेत्रफल/दर के सम्बन्ध में वेबसाइट पर देखकर ही पंजीकरण/बोली लगायें
भूखण्ड 'जहाँ है जैसे है' के आधार पर आवंटित किये जायेंगे।

डॉ. गुडाकेश शर्मा — अपर सचिव
शत्रोहन वैश्य — सचिव
विशाख जी. — उपाध्यक्ष

हेल्पलाईन नम्बर– 7408734777, 9140579791

www.kdaindia.co.in | kda.co.in | @kdakanpur | kdakanpur | kdakanpur

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

अन्धविश्वास

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

अन्धविश्वास और मिथ्या दर्शन के व्यवहार को समाज से निकाल देने की बात समाज–सुधारकों के क्षेत्र के अन्तर्गत है। यह बात सामान्य रूप से सब जगह मान्य है। जो लोग इन अन्धविश्वासों के चलन का लाभ उठाकर शोषण करते हैं, वे ही लाभान्वित होते हैं और दूसरा कोई नहीं। साहस और दृढ़ विश्वास के अभाव में दूसरे लोग इस स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं। ईश्वर, धर्म, दया ही केवल अन्ध–विश्वास को प्रोत्साहित नहीं करते बल्कि भले और बुरे दिनों का विश्वास, संकल्प, उपवास, तीर्थ–पर्यटन, धार्मिक स्थान और साधुओं की प्रशंसा आदि कृत्य भी अन्धविश्वास के प्रचार में सहायता पहुँचाते हैं, जिसके कारण मनुष्य की शक्ति, बुद्धि, धन तथा समय का अपव्यय होता है। यद्यापि भारत, प्राकृतिक साधनों से भरपूर है फिर भी वह दासता, निर्धनता और पिछड़ेपन के बंधनों से बंधा हुआ है। इसका एक मात्र कारण मनुष्यों का अन्धविश्वास ही है। संसार के कुछ अन्य देशों ने, जो बहुत पिछड़े हुये थे, कुछ वर्षों के अन्दर कला और विज्ञान में भारी उन्नति की है, क्योंकि उन्होंने इन अन्ध–विश्वासों को जड़–मूल से नष्ट कर दिया है।

हमारी जनता इन अन्धविश्वासों को दूर करने के लिये तत्पर नहीं होती। ईश्वर, धर्म, पुराण और स्मृति अपना विरोध प्रकट करते हैं। ''हमारे पूर्वजों का चलन'' इसका सबसे बड़ा विरोध है। करोड़ों रुपया इनके व्यवहार में नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष में कुछ ऐसे मंदिर हैं, जिनकी वार्षिक आय करोड़ों रुपया है। यह अपार धनराशि निरर्थक धार्मिक कृत्यों तथा कुछ शोषक जनों के हितार्थ खर्च कर दी जाती है। पुराण, आगम–शास्त्र, आचार्यों की कथाएँ, शुभ दिवस, धार्मिक स्थान तथा रीति–रिवाज इन विश्वासशील मनुष्यों को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि देशी और विदेशी सरकारें भी जनता के विश्वास को शोषण करती हैं। भारत की रेलों का उदाहरण लीजिये। यह कोई भी नहीं कह सकता कि रेल के अधिकारीगण इन धार्मिक स्थानों, धार्मिक क्रिया–पद्धतियों तथा तीर्थ यात्राओं में अटूट विश्वास करते हैं। फिर भी आप देखिये, रेलवे विभाग क्या करता है ? '' थुला–स्नानार्थ अवश्य आइये'', ''बैकुंठ एकादशी आपको आमंत्रित करती है'', ''आदि–अमावस्या के हेतु धनुष कोटि अवश्य पधारिये'', '' थिरुवन्नामुलाई में कार्तिकेय दीपम के दर्शनार्थ हम आपका आह्वान करते हैं'', ''क्या आप हरिद्वार कुम्भ–मेला में नहीं जायेंगे ? ''कुम्बा'' कोनम में महामाघम के लिये पधारिये आदि विषयक विज्ञापन, समाचार–पत्रों तथा स्टेशनों पर लगे विज्ञापन पटों में जनता का ध्यान आकर्षित करने और उसको धोखा देने के हेतु किसी सुन्दर नारी का चित्र भी अंकित कर दिया जाता है। ऐसा वे जनता को सीधा स्वर्ग में पहुंचाने के लिये नहीं करते। यह सब आप जानते हैं कि ये सब धन अर्जित करने का एक साधन ही है। सरकार को जो भी कर रूप में दिया जाता है उससे कहीं अधिक जनता इन तीर्थ यात्राओं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा झाड़–फूँक और तावीजों में व्यय कर देती है। जो मनुष्य सरकार को दोष दिया करते हैं कि उसने जन–कल्याण के लिये यह नही किया और वह नही किया, वे उपयुक्त प्रकार के अपव्यय की तनिक भी चिंता नहीं करते। वास्तव में अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों द्वारा सरकार की भूलों की आलोचना करना अधिक सरल है बजाय इसके कि वे इन अन्ध–विश्वासों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करें जिस पर जनता की एक बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय हो रहा है। देश में इस बात की कमी है कि इन अन्ध–विश्वासों के कार्यों में सरकार जरा भी अपना हस्तक्षेप कर सके।

अन्धविश्वासों के कार्यों में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोग यदि जन–कल्याण के हेतु हो सके, तो हमारी अशिक्षा का अनुपात शीघ्र ही घट जायेगा। अशिक्षा, निर्धनता तथा बीमारी का एक मात्र कारण अन्धविश्वास है।

ऐसे समाज सुधारक बहुत हैं, जो मंच पर खड़ें होकर ''परोपदेश पाँडित्यम '' की बात करते हैं, परन्तु वास्तव में वे स्वयं अपने कथित मार्ग का अनुसरण नहीं करते। यथार्थता का सामना करने के लिये उनमें घबराहट तथा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अन्धविश्वासों को बनाये रखने के लिये शोषित वर्ग कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता। लगभग सभी शैव, वैष्णव, सिद्धान्ती आदि धार्मिक सम्प्रदाय, गोष्ठियों का आयोजन करते हैं तथा रामायण, महाभारत, थेवेरम पर कलकक्षेपम् की कोई कमी नहीं रहती। इन भयंकर विपरीत शक्तियों का सामना करने के लिये सुधारकों को अधिक वेग से काम करना होगा और अपना मस्तिष्क दृढ़ बनाना होगा। धर्म और ईश्वर में व्याप्त अन्ध–विश्वास की शक्ति को अत्यल्प समझते हुये इसे अनंत शक्ति तथा नित्य मानना बुद्धि का दिवालियापन है और असफलता को वरण करना है। अन्धविश्वास का व्यवहार एवं श्रद्धान युग–युगान्तरों से चला आ रहा है और इसके समर्थन में एक विशाल साहित्य है, यह कथन सत्यता का प्रमाण उपस्थित नहीं करता। संसार उन महापुरुषों एवं उनके द्वारा सम्पादित उनके उन कार्यों से भरपूर है, जिन्होंने समाज की पुरानी जीर्ण–शीर्ण प्रथाओं को तोड़ कर सफलता प्राप्त की और मनुष्यों के रहन–सहन में परिवर्तन कर दिया।

किसी व्यवस्थित हृदयग्राही पद्धति द्वारा समाज में सुधार किया जा सकता है, ऐसा मुझे अब विश्वास नहीं रहा। मैं अनुभव करता हूँ कि हेतुवाद और समाजवाद का दावा करने वाली हमारी यह तानाशाही सरकार की इस ओर कुछ कर सकती है। यह सरकार वर्ण–व्यवस्था को हटाने के लिये वचनबद्ध है, अतएवः वह ऐसी पुस्तकों तथा साहित्य के चलन पर प्रतिबन्ध लगा दे, जिसमें वर्ण–व्यवस्था की प्रशंसा की गई हो। उन समस्त पुस्तकों की होली जला दी जाये, जो अन्धविश्वास और वर्ण–व्यवस्था तथा जातिगत भेद–भावों से परिपूर्ण हैं। शंकराचार्य तथा मठाधिपति आदि धर्म नेताओं को, जो अब भी वर्ण–व्यवस्था का उपदेश देते हैं, तत्काल उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये या देश निकाला दे दिया जाये। जवाहरात तथा मूल्यवान बर्तनों के रूप में मंदिरों में जमा की हुई अतुल धनराशि जब्त कर ली जाये और उसे अशिक्षितों को शिक्षित बनाने तथा बेरोजगारी दूर करने में व्यय किया जाये। यह आवश्यक है कि जनता द्वारा ऐसी सरकार बने जो इन सुधारों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित कर सके। इस प्रक्रिया में सम्भवतः बहुत से सुधारकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाये। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज–सुधारकों को यदि कोई नास्तिक की संज्ञा दे, तो उसे वे निर्भय होकर स्वीकार कर लें। शब्द 'नास्तिक' अथवा उसका नास्तिकता का भाव कोई अर्थ नहीं रखता। यथार्थ में बात तो यह है कि लोग ब्राह्मण, पुरोहितों, वेदों, शास्त्रों, इतिहास, और पुराणों में विश्वास नहीं करते, उन्हें लोग नास्तिक कहने लगते हैं। आस्तिक होकर यदि कोई शोषण और अंधविश्वास को नहीं मिटा सका, तो नास्तिक होने में क्या बुराई है। वास्तव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज–सुधारक यदि संसार को पूर्ण रूपेण सुधरा हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें फौरन नास्तिक बन जाना चाहिये। तब ही नास्तिकता का भय दूर हो सकता है। यह सब ध्यान में रखना चाहिये कि धर्म पुरोहित तथा धनिक लोग सदैव समाजवाद, जनतंत्र और सुधारकों को शत्रु समझते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो लोग किसी एक धर्म का दूसरे धर्म के लिये विरोध करते हैं, एक पैगम्बर या अवतार के विपरीत किसी दूसरे पैगम्बर में विश्वास करते हैं और अन्त में जनता को संकीर्ण मार्ग में ला पटकते हैं, वे ही सुधारों एवं ज्ञान के विरोधी होते हैं। इस प्रकार के झूठे प्रचार के विरूद्ध लोगों को सावधान कर देना चाहिये जिससे वे अज्ञान एवं श्रद्धा के वशीभूत होकर असत्य प्रचार तथा असत्य मार्ग प्रदर्शन के बल पर अपना धर्म परिवर्तन न कर लें। समस्त धर्मावलम्बी लोग एक ही कुटिल नाव के नाविक हैं। मानव जीवन के लिये धर्म परिवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता। धर्म परिवर्तन सन्देह निवृत्ति का साधन नहीं है।

ऐसे ब्राह्मण तथा कट्टर धर्मपरायण लोगों के विषय में चेतावनी दे देना परमावश्यक है, जो अपने को बड़ी सरलतापूर्वक महान समाज–सुधारकों की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि उन्होंने मांस सेवन, मद्यपान तथा किसी के भी घर पर खान–पान प्रारम्भ कर दिया है। कुछ लोग अपने को महान सुधारकों की गणना में इसलिये रखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विवाह संस्कार में अथवा वेश्या के रूप में किसी रखैल को रखने में किसी जात–पात का विचार नहीं किया। ये हरकतें समाज–सुधार के प्रतिरुप नहीं हैं। इसके साथ–साथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि इस वर्ण–व्यवस्था तथा जातिगत भेद–भाव के केवल ब्राह्मण ही दोषी हैं, अपितु इस प्रकार के व्यक्ति अन्य सम्प्रदायों में भी थोड़े बहुत रूप से पाये जाते हैं। जनता आलोचना करती है कि लोग इस जातिगत भेद–भाव के कारण ब्राह्मण वर्ग की कटु आलोचना करते हैं, वे ही लोग अपने से निम्न स्तर की जाति के लोगों को समानता का पद नहीं देते। यह आलोचना सत्य है। इसका उत्तर मेरी समझ में यह है कि ब्राह्मण समाज इसका अधिक दोषी हैं, क्योंकि इसके पूर्वजों ने जातिगत भेद–भाव उत्पन्न किया और पनपाया। अगर मानव समाजरूपी सीढ़ी के अन्तिम चरण रूपी ब्राह्मण वर्ग अपना इस विषय में सुधार कर ले, तो और दिशाओं में भी सुधार सरल हो जायेगा। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि बिना किसी भेद–भाव के जनसंख्या के अनुपात से समस्त जातियों को सेवालयों तथा शिक्षालयों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

अन्त में यह मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक सुधार कर अन्तिम लक्ष्य जनता में भली आदतों का शिक्षण, ज्ञान वृद्धि तथा समानता के सिद्धान्तों का पालन आत्म सम्मान की प्राप्ति, और सत्य अर्थ में धर्म निरपेक्ष समाजवाद की स्थापना करना है।

साभार

पेरियार ई. वी. रामस्वामी नायकर

पृष्ठ सं. 112 से 118 तक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।